संजय कुमार अग्रवाल
अध्यक्ष
Sanjay Kumar Agarwal
Chairman

आज़ादी का अमृत महोत्सव

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Indirect Taxes & Customs

**10th June, 2024**

**DO No. 24/News Letter/CH(IC)/2024**

Dear Colleague ,

From the happenings in last week, the first thing that comes to my mind is the inauguration of the new GST Bhawan in Rohtak. This Commissionerate, on the outskirts of Delhi, oversees nine districts in Haryana and encompasses major industrial areas, serving over 60,000 taxpayers. It is only fitting that this formation has an office capable of delivering enhanced taxpayer services and providing an enabling work environment to its officers. Thus far, it was functioning from a cramped rented space. Moving to a spacious, well-equipped and modern building will improve the productivity of the Commissionerate as well as other formations in Rohtak which will be housed in this complex.

Some quick facts. The complex is spread over 4 acres of land and the building is a well-planned structure, with state-of-the-art facilities, blending aesthetics, accessibility, cost-effectiveness, safety, and security. Among the many amenities are a creche, gym, recreation room, and a guest house, all of which are designed to support the well-being and efficiency of our staff.

Congratulations to the Panchkula Zone and DGHRD for bringing this project to fruition. Your dedication and hard work have made this possible.

During my visit to Rohtak, I witnessed the live processing of an ARN in the GSTN-BO. The officer acknowledged that the new backend environment provides an enhanced user experience. I am happy that the efforts of the last few months have made a positive difference to the field officers.

CBIC has prepared a draft 'Central Excise Bill, 2024' and, as part of the pre-legislative consultative process, invited suggestions on the draft from stakeholders

North Block, New Delhi-110 001 Tel. : +91-11-23092849, 23092890 E-mail : sanjayk.agarwal@gov.in

by 26th June. Once enacted, the Bill shall replace the Central Excise Act, 1944. It aims to enact a comprehensive modern central excise law with an emphasis on promoting ease of doing business and repealing old and redundant provisions. I would urge the concerned stakeholders to send in their suggestions and comments so that the new law is in tune with their needs and aspirations.

Also, the Board has issued guidelines for initiation of recovery proceedings before three months from the date of service of demand order. The instructions highlight the general rule of three months only after which the recovery proceedings should be initiated in cases where any amount becomes payable by a taxable person in pursuance of an order. It also specifies the procedure to be followed by the officers in cases where, in the interest of revenue, it is necessary to initiate recovery before the period of three months from the date of service of the order. The officers must be aware of the provisions of law and act accordingly!

An interesting case was noticed on the preventive front. The officers of DRI, Delhi Zonal Unit developed intelligence that imported liquor, being cleared under warehousing bills of entry, was being further sold under bond-to-bond on ownership transfer basis to the subsequent buyers. The mastermind, who has been apprehended, had created fictitious entities which were used for bond-to-bond transfer. While transferring bonded liquor to these entities, he used to divert the imported liquor to domestic market by violating warehousing provisions. In this manner, duty of about Rs. 11 Crores was evaded. The team deserves a pat on their back!

*Until next week!*

Yours sincerely,

**(Sanjay Kumar Agarwal)**

All Officers and Staff of the Central Board of Indirect Taxes & Customs.

संजय कुमार अग्रवाल
अध्यक्ष
Sanjay Kumar Agarwal
Chairman

आज़ादी का अमृत महोत्सव

सत्यमेव जयते

G20 भारत 2023 INDIA वसुधैव कुटुम्बकम् ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Indirect Taxes & Customs

10 जून, 2024

**DO No. 24/News Letter/CH(IC)/2024**

प्रिय सहकर्मी ,

पिछले सप्ताह से, पहली बात जो मेरे दिमाग में आती है वह है रोहतक में नए जीएसटी भवन का उद्घाटन। दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित यह आयुक्तालय, हरियाणा के नौ जिलों की देखरेख करता है और इसमें प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं, जो 60,000 से अधिक करदाताओं को सेवा प्रदान करते हैं। यह उचित ही है कि इस गठन के पास एक ऐसा कार्यालय हो जो उन्नत करदाता सेवाएं प्रदान करने और अपने अधिकारियों को एक सक्षम कार्य वातावरण प्रदान करने में सफल हों। अब तक, यह आयुक्तालय एक तंग किराए की जगह से काम कर रहा था। एक विशाल, सुसज्जित और आधुनिक इमारत में जाने से आयुक्तालय के साथ-साथ रोहतक में अन्य संरचनाओं की उपलब्धियों में सुधार होगा जो इस परिसर में स्थित होंगे।

इस परिसर के बारे में कुछ तथ्य- यह परिसर 4 एकड़ भूमि में फैला हुआ है और इमारत एक सुनियोजित संरचना है, जिसमें अत्याधुनिक आधारिक सुविधाएं, सौंदर्यशास्त्र का सम्मिश्रण, अभिगम्यता, लागत-प्रभावशीलता, सुरक्षा और संरक्षा का मिश्रण है। कई सुविधाओं में एक क्रेच, जिम, मनोरंजन कक्ष और एक गेस्ट हाउस शामिल हैं, जो सभी हमारे कर्मचारियों के हित और दक्षता का बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

इस परियोजना को साकार करने के लिए पंचकुला जोन और डीजीएचआरडी को बधाई। आपके समर्पण और कड़ी मेहनत ने इसे संभव बनाया है।

अपनी रोहतक यात्रा के दौरान, मैंने GSTN-BO में ARN की लाइव प्रोसेसिंग देखी। अधिकारी ने स्वीकार किया कि नया बैकएंड वातावरण एक उन्नत अनुभव प्रदान करता है। मुझे खुशी है कि पिछले कुछ महीनों के प्रयासों से फील्ड अधिकारियों के कार्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

सीबीआईसी ने 'केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक, 2024' का मसौदा तैयार किया है और प्री -लेजिस्लेटिव परामर्श प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, 26 जून तक हितधारकों से मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। एक बार

North Block, New Delhi-110 001 Tel. : +91-11-23092849, 23092890 E-mail : sanjayk.agarwal@gov.in

अधिनियमित होने के बाद, विधेयक केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 का स्थान ले लेगा। इसका उद्देश्य व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने और पुराने और अनावश्यक प्रावधानों को निरस्त करने पर जोर देने के साथ एक व्यापक आधुनिक केंद्रीय उत्पाद शुल्क कानून बनाना है। मैं संबंधित हितधारकों से अपने सुझाव और टिप्पणियां भेजने का आग्रह करूंगा ताकि नया कानून उनकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप हो।

साथ ही, बोर्ड ने मांग आदेश की सेवा की तारीख से तीन महीने पहले वसूली कार्यवाही शुरू करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। निर्देश तीन महीने के सामान्य नियम (General rule) पर प्रकाश डालते हैं जिसके बाद उन मामलों में वसूली कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए जहां किसी आदेश के अनुसरण में करदाता द्वारा कोई राशि देय हो जाती है। यह उन मामलों में अधिकारियों द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया को भी निर्दिष्ट करता है, जहां राजस्व के हित में, आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि से पहले वसूली शुरू करना आवश्यक है। अधिकारियों को कानून के प्रावधानों की जानकारी होनी चाहिए और उसके अनुसार कार्य करना चाहिए!

कर अपवंचन के मोर्चे पर एक दिलचस्प मामला देखने को मिला। डीआरआई, दिल्ली जोनल यूनिट के अधिकारियों ने खुफिया जानकारी विकसित की; कि आयातित लिकर, प्रवेश के वेयरहाउसिंग बिलों के तहत मंजूरी देने के बाद खरीदारों को हस्तांतरण के आधार पर बॉन्ड-टू-बॉन्ड के तहत बेची जा रही थी। पकड़े गए मास्टरमाइंड ने फर्जी संस्थाएं बनाई थीं जिनका इस्तेमाल बॉन्ड-टू-बॉन्ड ट्रांसफर के लिए किया जाता था। इन संस्थाओं को अनुबन्धित लिकर हस्तांतरित करते समय, वह भंडारण प्रावधानों (warehousing guidelines) का उल्लंघन करके आयातित लिकर को घरेलू बाजार में भेज देता था। इस तरह करीब 11 करोड़ रुपये की कर चोरी की गई। टीम अपनी पीठ थपथपाने की पात्र है!

अगले सप्ताह तक ।

भवदीय,

संजय कुमार

**(संजय कुमार अग्रवाल)**

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण।